Sixteenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding 'One-Rank-One-Pension' Scheme in the country.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से फौजी भाइयों के मान-सम्मान और वेलफेयर से संबंधित तीन-चार ज्वलंत बातें देश के सामने रखना चाहता हूं। सरकार कह रही है कि 'वन रैंक वन पेंशन' का क्रियान्वयन कर दिया गया है। सरकार अधूरा सत्य बता रही है। उसके प्रारूप को लेकर उनमें अंसतुष्टि है। यह 'वन रैंक वन पेंशन' न हो कर 'वन रैंक सेवेन पेंशन' है, क्योंकि हर पांच साल में रिव्यू का प्रावधान किया गया है, पहले साल में दो पेंशन, इसकी त्रुटियों को दूर किया जाए।

दूसरा, अभी कैन्टोनमेंट की सड़कों को खोलने के लिए, सिविल यूजर गेट खोलने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया है, हम चाहते हैं कि यह फैसला वापस हो। यह बात फौजी भाइयों की मोराल से जुड़ी हुई है। कैन्टोनमेंट की जो सड़कें हैं, उनको न खोला जाए।

तीसरा, सातवें पे कमिशन में सैनिक और जवान की डिसैब्लिटी पेंशन, विडो पेंशन, मिलिट्री सर्विस और सर्विस पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है, वह नाकाफी है, जिससे अन्य के मुकाबले में अंतर बढ़ा है। यह अंतर न बढ़ने दिया जाए, इसे सरकार एड्रेस करे।

चौथा, सिविल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में भी अंतर बढ़ गया है। उदाहरण के तौर पर एक सिपाही जवान का ग्रेड-पे 2000 रुपया है और कॉंस्टेबल का ग्रेड पे 2200 रुपया हो गया है। जब वर्ष 1947 में आजाद हुआ था, तब फौज का स्थान बहुत ऊपर था। धीरे-धीरे सिविल आर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में उनका स्थान नीचे आया है और सेवेंथ पे-कमिशन में कॉंस्टेबल का ग्रेड पे ऊपर हो गया है। इस बात को सरकार एड्रेस करे। हम इनके संगठनों से मिले। फौजियों के वेलफेयर के लिए बहुत संगठन प्रयासरत हैं, उनसे सरकार मिले और इस बात का हल निकाले।

माननीय अध्यक्ष:

डॉ. कुलमणि सामल को श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)